एम/एस. ए.वन ग्रेनाइट्स

बनाम

स्टेट ऑफ यूपी। और अन्य

16 फ़रवरी 2001

(जी.बी.पटनायक और बी.एन.अग्रवाल,जे.जे-)

यूपी गौण खनिज (रियायत) नियमावली, 1963.नियम 72.पट्टा क्षेत्र.अध्याय 11 के तहत प्रतिवादी को पट्टा देना अध्याय डब्ल्यू के तहत पट्टे का पुनः अनुदान.नियमावली के अध्याय 4 10 अध्याय 4 से फिर से हस्तांतरित पट्टा क्षेत्र.सम्मिलन अध्याय 11 के तहत नियम 72 पट्टे के लिए नोटिस की तारीख से 30 दिन सी की आवश्यकता और नियम के तहत आवेदन प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त 7 दिन का समय नियम के तहत नोटिस जारी 7 दिन की समय सीमा के भीतर प्रतिवादी को पट्टा दिया गया - रद्दीकरण राज्य सरकार द्वारा नोटिस-नए नोटिस जारी किए गए.नए नोटिस के तहत प्रतिवादी द्वारा आवेदन-नए नोटिस के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका खारिज कर दी गई इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका-पट्टा देने के लिए एक और नया नोटिस जारी करने का निर्देश-राज्य सरकार खनन पट्टे पर नाराजगी जता रही है नियम 72 के तहत प्रक्रिया का पालन किए बिना अपीलकर्ता को - उच्च

न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा रिट याचिका की अनुमति - अध्याय IV के तहत प्रतिवादी द्वारा धारित पट्टे के क्षेत्र के लिए अध्याय प्प् के तहत नियम 72 की प्रयोज्यता। नियम 72 लागू है - नियम 72 पक्षपात पूर्वाग्रह और ई भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पेश किया गया है - नियम के तहत खनन पट्टे के लिए नए सिरे से नोटिस जारी करने का निर्देश।

क़ानून की व्याख्याः

निर्माण का सिद्धांत -माना गया न्यायालयों को एक ऐसा निर्माण अपनाना चाहिए जो शरारत को दबाएगा और उपचार को आगे बढ़ाएगा- प्रावधानों की उद्देश्यपूर्ण एफ व्याख्या को अपनाया जाना चाहिए

प्रतिवादी संख्या 4 को यूपी के अध्याय 11 के तहत खनन पट्टा दिया गया था। गौण खनिज (रियायत) नियम 1963 शुरू में 10 साल की अवधि के लिए और मई 1992 तक 5 साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था। 1992 में जी अनुदान के नियमों के अध्याय IV के तहत पट्टा क्षेत्र के लिए एक घोषणा की गई थी। नीलामी द्वारा औरध्या इसके तहत पट्टा। खनन पट्टा मई 1992 में प्रतिवादी के पक्ष में 3 वर्षों के लिए प्रदान किया गया था। मार्च 1995 में जिला मजिस्ट्रेट ने नियमों के अध्याय IV के तहत एक अधिसूचना द्वारा 1.4.1995 से पट्टे वाले क्षेत्र को वापस ले लिया और नियमों के अध्याय II IIIऔरIV में निहित प्रावधानों को फिर से लागू कर दिया। इसी बीच अगस्त 1994, नियम 72 से 79 को

अध्याय II के तहत कानून में लाया गया जिसमें खनन पट्टा देने के लिए 30 दिन का समय और आवेदन प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त 7 दिन का समय देने की प्रक्रिया प्रदान की गई। जिला मजिस्ट्रेट ने नियम 72 के तहत दिनांक 31.3.1995 को एक नोटिस जारी कर खनन पट्टों के लिए आवेदन मांगे। प्रतिवादी को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पट्टा प्रदान किया गया था। लीज निष्पादित नहीं की गई थी।

प्रतिवादी ने प्राधिकरण को पट्टा विलेख निष्पादित करने का निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। प्रतिवादी राज्य ने खनन पट्टा देने के लिए नए दिशानिर्देश प्रदान करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट के नोटिस को रद्द कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने 30.5.1995 को खनन पट्टों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक नया नोटिस जारी किया। संशोधित नोटिस के तहत आवेदन करते हुएए प्रतिवादी ने नए नोटिस को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक और रिट याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने दोनों रिट याचिकाएं खारिज कर दी। प्रतिवादी ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिकाएँ दायर की। इस न्यायालय ने अपीलों का निपटारा करते हुए अधिकारियों को कानून के अनुसार पट्टा देने के लिए नया नोटिस जारी करने की स्वतंत्रता दी। प्रतिवादी ने जोर देकर कहा कि दूसरे नोटिस दिनांक 30.5.1995 के अनुसार दायर आवेदन पर पट्टा देने के लिए विचार किया जाए। जब कोई

जवाब नहीं आया तो प्रतिवादी ने नियमों के तहत संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर की ताकि जिला मजिस्ट्रेट को पट्टा देने के लिए आवेदन को गुण-दोष के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया जा सके। मंडलायुक्त ई के समक्ष अपील लंबित रहने के दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने खनन पट्टे के लिए नया नोटिस जारी किया। प्रतिवादी ने नोटिस को मंडलायुक्त के समक्ष भी चुनौती दी। उन्होंने प्रतिवादी की अपील स्वीकार कर ली और जिला मजिस्ट्रेट को प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। इस बीच प्रतिवादी-राज्य सरकार ने निर्धारित नियमों का पालन किए बिना अपीलकर्ता के पक्ष में 15 साल की अवधि के लिए खनन पट्टा मंजूर कर दिया। डिविजनल कमिश्नर ने राज्य सरकार द्वारा अपीलकर्ता को दिए गए पट्टे के मद्देनजर योग्यता के आधार पर आवेदन पर निर्णय लेने में असमर्थता व्यक्त करते हुए प्रतिवादी के आवेदन को खारिज कर दिया। प्रतिवादी ने राज्य सरकार और संभागीय आयुक्त के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की जिसे अनुमति दे दी गई। इसलिए अपील।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि रेल्स के नियम 72 का कोई अनुप्रयोग नहीं था क्योंकि नियमों के अध्याय IV के तहत पट्टा प्रदान किया गया था। वह धारा 72 उस क्षेत्र के लिए उपलब्ध है जो अध्याय 11 के तहत रखा गया था या खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम

1957 के तहत औरक्षित क्षेत्र और जिला मजिस्ट्रेट को इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार नियमों के नियम 72 के तहत एक नया नोटिस जारी करने की आवश्यकता थी और यह कि उच्च न्यायालय उचित नहीं था

जिला मजिस्ट्रेट को दिनांक 30.5.1995 के नोटिस के अनुसार दायर प्रतिवादी ए के आवेदन पर विचार करने का निर्देश देते हुए।

प्रतिवादी ने तर्क दिया कि नियम 72 की प्रयोज्यता अब पूर्णांक नहीं रह गई है, नियम 72 खनन पट्टे के पुनः अनुदान के मामले में लागू था इस तथ्य के बावजूद कि खनन पट्टा पहले या तो नियमों के अध्याय 2 या अध्याय IV के तहत दिया गया था और यह कि उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन पर विचार करने का निर्देश देना उचित था।

न्यायालय ने अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए

आयोजितः 1.1. यूपी में नियम 72 का उद्देश्य गौण खनिज (रियायत) सी नियम,1963 का उद्देश्य खनन पट्टा देने के मामले में पारदर्शिता रखना और परमिट देने वाले प्राधिकारी द्वारा किसी भी गुप्त सौदे को प्रतिबंधित करना है। जिला अधिकारी द्वारा एक नोटिस के माध्यम से उपलब्धता को अधिसूचित करने का उद्देश्य इसे बड़े पैमाने पर जनता के ध्यान में लाना है ताकि एक इच्छुक आवेदक आवेदन कर सके और एक से

अधिक होने पर ऐसे आवेदन पर उसकी योग्यता के आधार पर विचार किया जा सके। वहीं क्षेत्र के संबंध में आवेदन प्राप्त होते हैं। वह क्षेत्र जो अध्याय II के तहत प्राप्त पट्टे के आधार पर संचालित किया जा रहा था, जब पुनः अनुदान के लिए उपलब्ध हो जाता है यदि नियम 72 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तो इससे पक्षपात और पक्षपात हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः भ्रष्टाचार हो सकता है। परमिट देने वाला प्राधिकारी इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए विधानमंडल ने नियमों में नियम 72 के तहत निर्धारित प्रक्रिया जिला अधिकारी द्वारा क्षेत्र की उपलब्धता को सूचित करने का कर्तव्य शामिल किया है। नियम 27 के तहत नीलामी द्वारा या नियम 27 (ए) के तहत निविदा द्वारा या नियम 27 (बी)के तहत नीलामी-सहनिविदा द्वारा पट्टा देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया हीजनता को सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त सूचना है। नीलामी/निविदा/नीलामी-सह-निविदा में भाग लेने के लिए और ऐसे मामले में किसी भी गुप्त लेनदेन का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन ऐसे मामले में जब क्षेत्र अध्याय IV के तहत नीलामी/निविदा/नीलामी-सह-निविदा के तहत आयोजित किया गया था और राज्य सरकार उक्त प्रक्रिया से क्षेत्र को वापस ले लेती हैए जिसके बाद अध्याय II के प्रावधान पट्टा देने की सामान्य प्रक्रिया लागू हो जाती है तो यदि नियम 72 की इस प्रकार व्याख्या की जाती है तो यह नियम 72 में निहित पारदर्शिता और खुलेपन के उद्देश्य को विफल कर देगा और ऐसी

व्याख्या विधायी मंशा के विरुद्ध होगी। नियम 72 को मामले में लागू किया जाएगा और उच्च न्यायालय ने पारित आदेश को रद्द करने में कोई त्रुटि नहीं की है

राज्य सरकार ने अपीलकर्ता के पक्ष में खनन पट्टा मंजूर किया

नियमावली के नियम 72 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना।

1.2. इस न्यायालय द्वारा पहले के अवसर पर एक नया नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था ताकि अपीलकर्ता और प्रतिवादी सहित सभी संबंधित व्यक्ति खनन पट्टा देने के लिए आवेदन कर सकें। उच्च न्यायालय द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के दिनांक 4.10.1997 के आदेश को रद्द करना और प्रतिवादी के आवेदन पर विचार करने का निर्देश देना उचित नहीं था। अधिकारियों को नियमों के नियम 72 के संदर्भ में नए सिरे से नोटिस जारी करने और कानून के अनुसार पट्टे की मंजूरी के लिए दायर आवेदनों पर विचार करने की आवश्यकता है और पिछले नोटिस के अनुसार या अन्यथा पहले दायर किए गए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। [1099-एच 1100-ए-बीआई]

1.3. उच्च न्यायालय के फैसले के उस हिस्से को बरकरार रखा गया है जिसके तहत अपीलकर्ता के पक्ष में स्वीकृत पट्टे को रद्द कर दिया गया था। निर्णय का दूसरा भाग प्रतिवादी के दिनांक 4.7.1995 के आवेदन पर विचार करने का निर्देश देता है और अपीलकर्ता द्वारा आक्षेपित निर्णय के अनुसार दायर किया गया आवेदन यदि कोई हो को अलग रखा जाता है। [1100-सी]

2.यह निर्माण का एक प्रमुख सिद्धांत है कि न्यायालयों को एक ऐसा निर्माण अपनाना चाहिए जो शरारत को दबाएगा और उपचार को आगे बढ़ाएगा। दूसरे शब्दों में न्यायालय को विचाराधीन प्रावधानों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या अपनानी चाहिए। [1099-बी]

3. नियमों के नियम 72 की प्रयोज्यता के संबंध में प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष पहले की अपीलों में कभी नहीं उठाया गया था। एकमात्र प्रश्न जिस पर विचार किया गया वह यह था कि क्या उक्त नियम का उल्लंघन हुआ था। ये नहीं हो सकता ने कहा कि बिंदु उसी से समाप्त होता है और अब पूर्णांक नहीं रह गया है।[11093-ए; 1092-ई]

प्रेम नाथ शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्यए [1997], 4 एससीसी 552; दिल्ली नगर निगम बनाम गुरनाम कौर, [1989] 1 एससीसी 101; उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य सिंथेटिक एंड केमिकल्स

लिमिटेड और अन्य। [1991] 4 एससीसी 139 और अर्नित दास बनाम बिहार राज्य [2000] 5 एससीसी 488 ए

संदर्भित।

लैंकेस्टर मोटर कंपनी (लंदन) लिमिटेड बनाम ब्रेमिथ लिमिटेड (1941) 1 केबी 675 ए संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6495/1998

सी एम डब्लू पी 1997 का क्रमांक 34381 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 06-11-1998 से।

गोविंद दास, जी आई संघाई , पराग पी. त्रिपाठी, शांति भूषण, गोपाल सुब्रमण्यम, यतीश मोहन, अर्जुन पंत, विश्वजीत सिंह, अरविन्द वर्मा, कु. संगीता मंडल, सुश्री वर्षा चौधरी, कपिल के. चौधरी, गौरव बनर्जी

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील प्रतिवादी संख्या द्वारा दायर एक रिट आवेदन में दिए गए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 6.11.1198 के फैसले के खिलाफ निर्देशित है। 4 जिसके तहत इसकी अनुमति दी गई है और राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.09.1997 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें प्लॉट नंबर 1 की 10 एकड़ भूमि के संबंध में 15 साल की अवधि के लिए अपीलकर्ता के पक्ष में ग्रेनाइट आकार के आयामी पत्थर के

खनन पट्टे को मंजूरी दी गई है। बघवा महोबा में स्थित है और दिनांक 04.10.1997 को जिला मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा प्रतिवादी संख्या 04.07.1995 को दायर आवेदन पर निर्णय लेने में असमर्थता दिखाते हुए पारित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत करने के उपरोक्त आदेश के दृष्टिगत खनन पट्टा प्रदान करने हेतु 4 को निरस्त कर दिया गया है तथा जिला मजिस्ट्रेट को उत्तर प्रदेश उपखनिज रियायत के नियम 72 का पालन करने का निर्देश दिया गया है। नियम ए 1963 बाद में नियमों के रूप में संदर्भित और प्रतिवादी संख्या द्वारा दायर पूर्वोक्त आवेदन का निपटान करें। 04.07.1195

इस अपील को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी नं- 4 ने प्लॉट संख्या में खनन पट्टा देने के लिए आवेदन किया। 1, बघवा महोबा की माप 10 एकड़ है और 17.08.1977 को इसे उनके पक्ष में नियमों के अध्याय के तहत 17 सितंबर 1977 से 10 साल की अवधि के लिए प्रदान किया गया था। उक्त अवधि की समाप्ति पर प्रतिवादी संख्या- 4 ने एक बार फिर पट्टे को दोबारा देने के लिए आवेदन कियाए जो इस बार पांच साल की अवधि के लिए दिया गया था, जिसकी अवधि 1.05.1992 को समाप्त हो गई थी। वर्ष 1992 में नियमों के नियम 23 के तहत एक घोषणा की गई थी जो अध्याय 4 में है जिसमें भगवा महोबा के क्षेत्र को नीलामी या निविदा या नीलामी- सह. निविदा के माध्यम से पट्टा देने की

घोषणा की गई थी और इस प्रकार अध्याय में निहित प्रावधान नियमों के II प्प्प् और टप् को उक्त क्षेत्र पर लागू नहीं किया गया। उपरोक्त घोषणा के मद्देनजरए प्रतिवादी संख्या के पक्ष में नीलामी द्वारा खनन पट्टा प्रदान किया गया था। 4 दिनांक 22.05.1992 को तीन वर्ष की अवधि के लिए खनिजों अर्थात खंडा गिट्टी और बोल्डर के खनन के लिए 10 एकड़ के उपरोक्त क्षेत्र के संबंध में 30.03.1995 को प्रतिवादी जिला मजिस्ट्रेट ने नियमों के नियम 24 के तहत एक अधिसूचना जारी की, जिसमें अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ उस क्षेत्र को भी वापस ले लिया गयाए जो 01.04.1995 से अध्याय से प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में दिए गए पट्टे का विषय था और अध्यायों के प्रावधान किए गए थे। प्रश्नगत क्षेत्र पर लागू नियमों के इस बीच 27.08.1194 को 20वें संशोधन के आधार पर नियमों में संशोधन किया गया जिसमें नियम 72 से 79 शामिल किए गए। नियम 72 के तहत खनन पट्टे को फिर से देने के लिए 30 दिनों का नोटिस देने की एक प्रक्रिया प्रदान की गई थी जिसे नियम 11-2 को संशोधित किया गया था। 1995, 21वें संशोधन द्वारा। संशोधित नियम 72 के तहत खनन पट्टे को दोबारा देने के लिए 30 दिन के नोटिस के अलावाए आवेदन प्राप्त करने के लिए सात कार्य दिवस का समय देना आवश्यक है और उक्त नियम प्रभाव और सार में अध्याय के तहत दिए गए खनन पट्टों से संबंधित नहीं है।

उक्त नियम में संशोधन के बाद प्रतिवादी जिला मजिस्ट्रेट ने नियमों के नियम 72 के तहत दिनांक 31.03.1995 को एक नोटिस जारी किया जिसमें नोटिस जारी होने की तारीख से 30 दिनों के बाद यानी 2.5 दिनों के बाद खनन पट्टे देने के लिए आवेदन मांगे गए। 1995 उस क्षेत्र के संबंध में जो प्रतिवादी संख्या के पट्टे का विषय था। अन्य क्षेत्रों के साथ उक्त नोटिस के अनुसरण में प्रतिवादी सं- 4 ने अपने पक्ष में पट्टा देने के लिए आवेदन किया और निर्दिष्ट तिथि से सात दिन की अवधि पूरी होने से पहलेए यानी 02-05-1995 को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 06-05-1995 को उसके पक्ष में पट्टा स्वीकृत करने का आदेश पारित कर दिया गया। चूँकि उक्त आदेश के अनुसरण में कोई पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया गया था, इसलिए आवश्यक प्रतिवादी सं- 4 को अपने पक्ष में पट्टा विलेख निष्पादित करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को निर्देश देने के लिए सीडब्ल्यूपी संख्या 15290/95 के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष 24.05.1995 को एक रिट आवेदन दायर करना था। उक्त रिट आवेदन दाखिल होने के बादए राज्य सरकार ने 29.05.1995 को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी उक्त नोटिस दिनांक 31.03.1995 को इस आधार पर रद्द कर दिया कि राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार ग्रेनाइट अनुदान के लिए कुछ दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे। पट्टा, इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने नियमों के नियम 72 के तहत 30.03.1995 को खनन पट्टा देने के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए नया नोटिस जारी

किया, जिसे प्रतिवादी संख्या द्वारा चुनौती दी गई थी। 4 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक अलग रिट आवेदन में सीडब्ल्यूपी संख्या 16886/95 है। उक्त नोटिस के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 4.7.1995 को प्रतिवादी सं- 4 ने अपने पक्ष में पट्टा स्वीकृत करने के लिए नये सिरे से आवेदन किया। दोनों रिट आवेदनों पर उच्च न्यायालय ने 24.04.1996 को सुनवाई की और यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दिनांक 31.03.1995 का नोटिस अमान्य था नियमों के नियम 72 के विपरीत था, क्योंकि सात दिनों की अवधि उसमें निर्दिष्ट नहीं थी और इसलिएए उक्त नोटिस को रद्द करने और 30.5.1995 को नया नोटिस जारी करने में कोई अवैधता नहीं थी। उक्त आदेश को चुनौती देते हुए प्रतिवादी सं- 4 ने दो विशेष अनुमति याचिकाएँ दायर कीं जिनमें छुट्टी दे दी गई और सिविल अपीलों का निपटान 9.04.1997 को दिए गए एक सामान्य निर्णय द्वारा किया गयाए जिसके तहत अपीलें खारिज कर दी गईंए लेकिन यह देखा गया कि उच्च न्यायालय ने यह घोषित करना उचित नहीं ठहराया कि नोटिस दिनांकित था। 31.3.1995 अमान्य था, क्योंकि इस न्यायालय की राय में उक्त नोटिस नियमों के नियम 72 के प्रावधानों के अनुसार था, लेकिन उसे रद्द करना और 30.5.1995 को नया नोटिस जारी करना उचित था क्योंकि पट्टा था 6.05.1995 को स्वीकृत किया गया अर्थात सात दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले। इस न्यायालय ने उक्त अपीलों का निपटारा करते हुए कानून के अनुसार पट्टा देने के लिए नया नोटिस जारी करने की स्वतंत्रता दी।

हालाँकि ऊपर उल्लिखित इस न्यायालय की टिप्पणी के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट को एक नया नोटिस जारी करना आवश्यक था, लेकिन प्रतिवादी नं- 4 इस बात पर जोर दे रहा था कि दिनांक 30.5.1995 के नोटिस के अनुसार 4.7.1995 को दायर उसके आवेदन पर निर्णय लिया जाना चाहिए और चूंकि उसने कोई कदम नहीं उठाया तो उक्त प्रतिवादी ने नियम 77 के तहत संभागीय आयुक्त के समक्ष 30.4.1997 को अपील दायर की। नियमों में जिला मजिस्ट्रेट को योग्यता के आधार पर खनन पट्टा देने के लिए उनके दिनांक 4.71995 के उपरोक्त आवेदन का निपटान करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है। उक्त अपील के लंबित रहने के दौरानए जिला मजिस्ट्रेट ने 20.08.1997 को नियमों के नियम 72 के तहत खनन पट्टा देने के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक नया नोटिस जारी किया। उक्त नोटिस को प्रतिवादी संख्या द्वारा चुनौती दी गई थी। 4 संभागीय आयुक्त के समक्ष उक्त अपील में दायर एक आवेदन के माध्यम से। 11.09.1997 को संभागीय आयुक्त ने अपील का फैसला किया और जिला मजिस्ट्रेट को प्रतिवादी संख्या द्वारा 4.07.995 को दायर उपरोक्त आवेदन पर फैसला करने का निर्देश दिया।

उक्त आदेश के खिलाफ अनिल कुमार शुक्ला ने राज्य सरकार के समक्ष पुनरीक्षण दायर किया जो अभी भी लंबित है। इसके बादए 24.09.1997 को राज्य सरकार ने नियमों के नियम 72 के तहत निर्धारित

प्रक्रिया का पालन किए बिना अपीलकर्ता के पक्ष में 15 साल की अवधि के लिए प्रश्नगत क्षेत्र के संबंध में ग्रेनाइट आकार के आयामी पत्थर के खनन पट्टे को मंजूरी दे दी। 11.09.1997 को पारित संभागीय आयुक्त के उपरोक्त आदेश के अनुसार जब प्रतिवादी सं- 4 ने खनन पट्टा देने के लिए अपने आवेदन दिनांक 4.07.1995 पर विचार करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन दियाए आदेश दिनांक 4.10.1997 द्वारा उन्होंने 24.099.1997 को राज्य सरकार द्वारा पक्ष में दिए गए पट्टे के मद्देनजर योग्यता के आधार पर आवेदन पर निर्णय लेने में असमर्थता व्यक्त की। अपीलकर्ता गण प्रतिवादी नं- 4 ने राज्य सरकार द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 24.9.1997 और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.10.1997 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष सीएमडब्ल्यूपी संख्या 34381 ऑफ 1997 के रूप में एक रिट याचिका दायर करके चुनौती दी। एन एके त्रिपाठी ने भी दो रिट दायर कीं। याचिकाएगण तीनों रिट याचिकाओं पर उच्च न्यायालय द्वारा 6.11.1998 को सुनवाई की गई और उनका निपटारा किया गया। एके त्रिपाठी द्वारा दायर रिट आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उन्होंने नोटिस के अनुसार कोई आवेदन दायर नहीं किया था। जहां तक प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा दायर रिट आवेदन का सवाल है, उसे अनुमति दी गई थी, राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.1997 और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 4.10.1997 को रद्द कर दिया गया था और जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया गया था प्रतिवादी

संख्या द्वारा दायर आवेदन दिनांक 04.07.1995 पर निर्णय लेने के लिए। 4 कानून के अनुसार क्योंकि नियमों के नियम 72 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना अपीलकर्ता के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा 24.09.1997 को पट्टा स्वीकृत किया गया था। उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को चुनौती देते हुएए अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की जिसमें अपील करने की अनुमति दी गई वर्तमान अपील हमारे सामने रखी गई है।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोविंद दास और श्री जीएल सांघी ने अपील के समर्थन में कहा कि नियमों के नियम 72 के तहत राज्य सरकार द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में पट्टा स्वीकृत करने के लिए कोई आवेदन नहीं है। आदेश दिनांक 24.9.1997 क्योंकि प्रश्नगत क्षेत्र के संबंध में पहले पट्टा अध्याय के तहत दिया गया था न कि अध्याय के तहत क्योंकि नियम 72 के तहत जैसा कि 21वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था, केवल वही क्षेत्र पुनः अनुदान के लिए उपलब्ध हो जाता है जो आयोजित किया गया था अध्याय के तहत एक खनन पट्टे के तहत या खान और खनिज विकास और विनियमनद्ध अधिनियम ए 1957 की धारा 17 ए के तहत औरक्षित किया गया था, न कि वह क्षेत्र जो वर्तमान की तरह अध्याय के तहत खनन पट्टे के तहत रखा गया था। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि पिछले अवसर पर इस न्यायालय की

टिप्पणी के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट को नियमों के नियम 72 के तहत एक नया नोटिस जारी करने की आवश्यकता थी और इसलिए आवेदन पर विचार करने का निर्देश देना उच्च न्यायालय के लिए उचित नहीं था। दिनांक 4.7.1995 प्रतिवादी संख्या द्वारा दायर किया गया। 4 पट्टा प्रदान करने हेतु।

राज्य सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री गौरब बनर्जी ने अपीलकर्ता के रुख का समर्थन किया।

श्री शांति भूषण, विद्वान वरिष्ठ वकील, प्रतिवादी संख्या की ओर से उपस्थित हुए। 4 ए प्रस्तुत किया गया कि नियम 72 की प्रयोज्यता के संबंध में प्रश्न अब एकीकृत नहीं है क्योंकि यह प्रश्न पूर्वोक्त अपीलों में इस न्यायालय के निर्णय से समाप्त हो गया है। वैकल्पिक रूप से उन्होंने कहा कि नियम 72 खनन पट्टे को दोबारा देने के मामले में लागू होता है, इस तथ्य के बावजूद कि खनन पट्टा पहले अध्याय एस या अध्याय के तहत दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या द्वारा दायर दिनांक 4.7.1995 के आवेदन पर विचार करने का निर्देश देना बिल्कुल उचित था। 4 क्योंकि इस न्यायालय के पहले के निर्णय के अनुसार उस नोटिस में कोई अवैधता नहीं थी जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या द्वारा उक्त आवेदन दायर किया गया था। 4

पहला प्रश्न जो इस न्यायालय के विचाराधीन है ए वह यह है कि क्या वर्तमान पट्टे के संबंध में नियमों के नियम 72 की प्रयोज्यता से संबंधित प्रश्न इस न्यायालय के प्रेम नाथ शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और मामले में दिए गए पहले के निर्णय से समाप्त होता है। अन्य ए (1997) 4 एससीसी 552 द्वारा इस न्यायालय के उक्त निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि नियम 72 लागू था या नहीं यह प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष कभी नहीं उठाया गया था और एकमात्र प्रश्न जिस पर विचार किया गया था वह यह था कि क्या उक्त का उल्लंघन हुआ था नियम।

इस प्रश्न पर लैंकेस्टर मोटर कंपनी (लंदन) लिमिटेड बनाम ब्रेमिथ लिमिटेड (1941) 1 केबी 675 में अपील न्यायालय द्वारा विचार किया गया था ए और यह निर्धारित किया गया था कि जब प्रश्न पर कोई विचार नहीं किया गयाए तो निर्णय नहीं लिया जा सकता कहा जा सकता है कि यह बाध्यकारी है और मिसालें सब साइलेंटियो और बिना तर्क के कोई पल नहीं रखतीं। उक्त निर्णय के बादए इस न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम बनाम गुरनाम कौर ए (1989)1 एससीसी 101 के मामले में इस प्रकार कहारू " जेराई बनाम वर्थ ऑफ पेरिस लिमिटेड (K) 1936 2 ऑल ईऔर 905 सीए में एकमात्र मुद्दा दावेदार के ऋण की प्राथमिकता के सवाल पर था और इस तर्क को सुनने पर अदालत ने मंजूरी दे दी आदेश। इस सवाल पर कोई विचार नहीं किया गया कि क्या परिसमापक के नाम पर मौजूद खाते पर

गार्निश ऑर्डर ठीक से किया जा सकता है। इसलिए] जब लैंकेस्टर मोटर कंपनी लंदन] लिमिटेड बनाम ब्रेमिथ लिमिटेड (1941) 1 केबी 675 में अपील की अदालत के समक्ष एक बाद के मामले में इसी बिंदु पर तर्क दिया गया] तो अदालत ने खुद को अपने पिछले मामले से बाध्य नहीं माना। फ़ैसला। सर विल्फ्रिड ग्रीन एमऔरए ने कहा कि वह यह सोचने से खुद को नहीं रोक सके कि अब उठाया गया मुद्दा जानबूझकर वकील द्वारा चुपचाप पारित कर दिया गया था ताकि सारगर्भित मुद्दे पर निर्णय लिया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि आदेश देने से पहले इस मुद्दे पर पिछली अदालत को निर्णय लेना था जो उसने किया, फिर भी चूंकि यह बिना किसी तर्क के नियम के महत्वपूर्ण शब्दों के संदर्भ के बिना और अधिकार के किसी उद्धरण के बिना निर्णय लिया गया थाए यह बाध्यकारी नहीं था और इसका पालन नहीं किया जाएगा। सब साइलेंटियो और बिना तर्क के उदाहरण किसी क्षण के नहीं होते। तब से इस नियम का पालन किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्य में बनाम सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड और अन्य (1991) 4 एससीसी 139 उसी दृष्टिकोण को दोहराते हुए इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि इस तरह के निर्णय को बाध्यकारी प्रभाव वाला घोषित कानून नहीं माना जा सकता है जैसा कि अनुच्छेद 141 में माना गया है । भारत का संविधान और इस प्रकार मनाया गया एक

निर्णय जो व्यक्त नहीं है और कारणों पर आधारित नहीं है और न ही यह मुद्दे पर विचार करने पर आगे बढ़ता है] उसे बाध्यकारी प्रभाव वाला घोषित कानून नहीं माना जा सकता है जैसा कि अनुच्छेद 141 में माना गया है।

अर्नित दास बनाम बिहार राज्य (2000) 5 एससीसी 488 के मामले में] इस तरह के निर्णय के बाध्यकारी प्रभाव की जांच करते हुए इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा

जो निर्णय व्यक्त नहीं किया गया है कारणों के साथ नहीं है और किसी मुद्दे पर सचेत रूप से विचार नहीं किया गया है उसे बाध्यकारी प्रभाव वाला घोषित कानून नहीं माना जा सकता है जैसा कि अनुच्छेद 141 में माना गया है। जो निर्णय में बच गया है वह अनुपात नहीं है निर्णय यह तकनीकी अर्थ में सब साइलेंटियो का नियम है जब कानून का एक विशेष बिंदु सचेत रूप से निर्धारित नहीं किया गया था।

इस प्रकार हमें यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि नियमों के नियम 72 की प्रयोज्यता के संबंध में प्रश्न का उल्लेख तक नहीं किया गया हैए इस न्यायालय द्वारा पहले की अपीलों में इस पर विचार करना तो दूर की बात है यह नहीं कहा जा सकता है कि मुद्दा उसी के द्वारा समाप्त हो गया है और अब एकीकृत नहीं है और तदनुसार इस न्यायालय को इस पर निर्णय लेने के लिए कहा जाता है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 54 के आधार पर संसद ने खानों के विकास और विनियमन के लिए खान और खनिज विकास और विनियमनद्ध अधिनियम ए 1957 बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित अधिनियमि किया। और खनिज संघ के नियंत्रण में। अधिनियम की धारा 15 में प्रावधान है कि राज्य सरकार गौण खनिजों के संबंध में खदान पट्टों खनन पट्टों या अन्य खनिज रियायतों के अनुदान और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए नियम बना सकती है। उपरोक्त धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश गौण खनिज रियायत नियम, 1963 नामक नियम बनाए जो 14-09-1963 को यूपी राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। अभिव्यक्ति गौण खनिजों को नियमों के नियम 2 (7) के तहत परिभाषित किया गया था जो इस प्रकार है-

लघु खनिजों का अर्थ है निर्माण पत्थर बजरी, साधारण मिट्टी निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली रेत के अलावा साधारण रेत और कोई अन्य खनिज जिसे केंद्र सरकार ने समय-समय पर घोषित किया है या आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है। गौण खनिज खान और खनिज, विनियमन और विकास अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम संख्या 67 की धारा 3 के खंड के तहत) अध्याय तीन रॉयल्टी और अनिवार्य किराया के भुगतान का प्रावधान करता है।

नियमों के नियम 21 के तहत जो अध्याय 3 के तहत है, खनन पट्टा धारक को पट्टे वाले क्षेत्र से उसके द्वारा हटाए गए किसी भी खनिज के संबंध में पहली अनुसूची में निर्दिष्ट समय के लिए रॉयल्टी का भुगतान करना आवश्यक है। नियम। 25.11.1993 को एक संशोधन किया गया जिसके तहत ग्रेनाइट आकार के आयामी पत्थर को अनुसूची के आइटम 5 में वी के रूप में शामिल किया गया। खनन पट्टों की शर्तों को अध्याय पांचवीं में सूचीबद्ध किया गया है और अध्याय छः में खनन परमिट देने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। मूल नियमावली में 71 नियम थे। इसके बाद 27.08.1994 को 20वें संशोधन द्वारा नियम 72 से 79 को नियमों के अध्याय आठ में शामिल किया गयाए जिसमें से नियम 72 को संदर्भित किया जा सकता है जो इस प्रकार है। और 72 अधिसूचित किए जाने वाले क्षेत्र की उपलब्धता।- 1- यदि कोई क्षेत्र जो खनन पट्टे के तहत रखा गया था या अधिनियम की धारा 17.ए के तहत औरक्षित है, पुनर्ग्राही के लिए उपलब्ध हो जाता है, तो जिला अधिकारी उपलब्धता को अधिसूचित करेगा एक नोटिस के माध्यम से क्षेत्र का विवरण देते हुए खनिज रियायतें प्रदान करने के लिए एक तारीख निर्दिष्ट करते हुए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जो नोटिस की तारीख से तीस दिन से पहले नहीं होगी और ऐसे नोटिस की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। उनके कार्यालय और ऐसे क्षेत्र के तहसीलदार और निदेशक को भी भेजा जाएगा।

2- ऐसे क्षेत्र के लिए खनन पट्टा या खनन परमिट देने के लिए आवेदन जो पहले से ही पट्टे के तहत रखा गया है या नियम 23 के उप.नियम (1) के तहत अधिसूचित है या अधिनियम की धारा 17.ए के तहत औरक्षित है और जिसकी उपलब्धता के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है । उप.नियम (1) समय से पहले होगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा और भुगतान किए जाने पर आवेदन शुल्क वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद 11.02.1995 को 21वें संशोधन द्वारा नियम 72 को संशोधित और निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया, और 72 -खनन पट्टे पर पुनः अनुदान के लिए क्षेत्र की उपलब्धता अधिसूचित की जाएगी।-

(1) यदि कोई क्षेत्र जो अध्याय 2 के तहत खनन पट्टे के तहत रखा गया था या अधिनियम की धारा 17.ए के तहत औरक्षित था ए पुनर्ग्रहण के लिए उपलब्ध हो जाता है तो जिला अधिकारी खनन पट्टे पर एक नोटिस के माध्यम से क्षेत्र की उपलब्धता को सूचित करेगा। खनन पट्टा देने के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक तारीख निर्दिष्ट करेंए जो नोटिस की तारीख से तीस दिन से पहले नहीं होगी और ऐसे क्षेत्र का विवरण दें और ऐसे नोटिस की एक प्रति उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी और ऐसे क्षेत्र के तहसीलदार और निदेशक को भेजा जाएगा।

(2) उप.नियम 1 के तहत खनन पट्टा देने के लिए आवेदन उक्त उप.नियम में निर्दिष्ट नोटिस में निर्दिष्ट तिथि से सात कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त किए जाएंगे। हालाँकि यदि किसी क्षेत्र के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या तीन से कम है, तो जिला अधिकारी सात और कार्य दिवसों के लिए अवधि बढ़ा सकता है और यदि उसके बाद भीए आवेदनों की संख्या तीन से कम रहती हैए तो जिला अधिकारी को सूचित करेगा उक्त उपनियम के अनुसार नये सिरे से क्षेत्र की उपलब्धता।

(3) ऐसे क्षेत्र के लिए खनन पट्टा देने के लिए आवेदन जो पहले से ही पट्टे के तहत रखा गया है या नियम 23 के उप.नियम 1 के तहत अधिसूचित है या अधिनियम की धारा 17.ए के तहत औरक्षित है और जिसकी उपलब्धता उप- के तहत अधिसूचित नहीं की गई है। नियम 1 को समय से पहले माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा और भुगतान किए जाने पर आवेदन शुल्क वापस कर दिया जाएगा। नियमों के तहत किसी भी लघु खनिज के संबंध में खनन कार्य केवल नियमों के तहत दिए गए खनन पट्टे या खनन परमिट के नियमों और शर्तों के अनुसार ही किया जा सकता है। ऐसा पट्टा अध्याय 4 के तहत दिया जा सकता है, जो प्रक्रिया निर्धारित करता है और नियम 9 एक अधिमान्य अधिकार प्रदान करता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही भूमि के संबंध में खनन पट्टे के लिए आवेदन करते हैं। खनन पट्टा अध्याय 4 के तहत

नीलामी/ निविदा /नीलामी सह.निविदा के माध्यम से भी दिया जा सकता है, जब राज्य सरकार विशेष या सामान्य आदेश द्वारा घोषणा करती है कि संबंधित क्षेत्र को नीलामी या निविदा या नीलामी.सह.निविदा द्वारा पट्टे पर दिया जा सकता है। निविदाए जैसा कि नियम 23 में प्रावधान है। नीलामी द्वारा पट्टा देने की प्रक्रिया नियम 27 के तहत प्रदान की गई है। नियम 24 राज्य सरकार को किसी भी क्षेत्र को वापस लेने का अधिकार देता है जिसे नियम 23 के उप.नियम (1) के तहत घोषित किया गया था और एक बार नियम 24 के तहत क्षेत्र वापस ले लिया जाता है, तो खनन पट्टा देने के लिए अध्याय 2 में निर्धारित प्रक्रिया लागू हो जाती है। इस प्रकार नियमों के अध्याय 2 के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया हैए अध्याय 4 इसका अपवाद है। यहां नियम 23 और 24 को उद्धृत करना उपयोगी हो सकता है जो अध्याय 4 के अंतर्गत हैं, -

और 23 .नीलामी/ निविदा /नीलामी सह.निविदा पट्टा हेतु क्षेत्र की घोषणा

(1) राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वाराए उस क्षेत्र या क्षेत्रों की घोषणा कर सकती है जिन्हें नीलामी या निविदा या नीलामी.सह.निविदा द्वारा पट्टे पर दिया जा सकता है।

(2) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय.समय पर जारी निर्देशों के अधीन ए किसी भी क्षेत्र या क्षेत्र को नीलामी या निविदा या नीलामी.सह.निविदा द्वारा एक समय में पांच साल से अधिक के लिए पट्टे

पर नहीं दिया जाएगारू बशर्ते कि सिटुरॉक प्रकार के खनिज जमा के संबंध में अवधि पांच वर्ष होगी और नदी तल खनिज जमा के संबंध में एक समय में एक वर्ष होगी।

(3) उप.नियम (1) के तहत क्षेत्र या क्षेत्रों की घोषणा पर इन नियमों के अध्याय 2, 3 और 4 के प्रावधान उस क्षेत्र या क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे जिनके संबंध में घोषणा जारी की गई है। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को इस अध्याय में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पट्टे पर दिया जा सकता है।

(4) जिला अधिकारी उपनियम (1) के तहत घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों का न्यूनतम बोली या प्रस्ताव तय करने के लिए खनिज की गुणवत्ता और मात्रा के लिए निदेशकए भूतत्व एवं खनिकर्मए उत्तर प्रदेश या अधिकृत अधिकारी से मूल्यांकन कराएंगे। जैसा भी मामला होए नीलामी या निविदा या नीलामी.सह.निविदा के लिए निर्धारित तिथि से पहले। और-24 नीलामी या निविदा या नीलामी.सह.निविदा से क्षेत्र की वापसीरू- राज्य सरकार घोषणा द्वारा नियम 23 के उप.नियम (1) के तहत घोषित किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों या उसके हिस्से को पट्टे की किसी भी प्रणाली से वापस ले सकती है। वहां संदर्भित और घोषणा में निर्दिष्ट वापसी की तारीख से जो इस अध्याय के तहत दिए गए पट्टे के अस्तित्व के दौरान की तारीख नहीं होगीए इन नियमों के अध्याय 2, 3 और 4 के प्रावधान ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों पर लागू होंगे।

20वें संशोधन द्वारा जिसके तहत नियम 72 को नियमों में शामिल किया गया था, कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे कि यदि कोई क्षेत्र जो खनन पट्टे के तहत रखा गया था या अधिनियम की धारा 17 ए के तहत औरक्षित था पुनरू अनुदान के लिए उपलब्ध हो गया तो जिला अधिकारी को इसकी आवश्यकता थी। अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले नोटिस के माध्यम से इसकी उपलब्धता को सूचित करें, जिसमें एक तारीख निर्दिष्ट की जाए जो नोटिस की तारीख से 30 दिन से पहले नहीं होगी और उक्त नोटिस को जिला कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना आवश्यक था और होना भी आवश्यक था। ऐसे क्षेत्र के तहसीलदार और निदेशक को भेजा गया। उपरोक्त नियम के अनुसारए यदि कोई क्षेत्र खनन पट्टे के तहत अध्याय 2 या अध्याय 4 के तहत रखा गया थाए तो नियम 72 में निर्धारित प्रक्रिया लागू होगी। 21वें संशोधन द्वाराए नियम 72 को प्रतिस्थापित किया गया जो एक नोटिस के माध्यम से क्षेत्र की उपलब्धता को सूचित करने खनन पट्टे के अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित करने उस तारीख को निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है जब उक्त क्षेत्र जो अध्याय 2 के तहत खनन पट्टे के तहत रखा गया था। अधिनियम की धारा 17.ए के तहत औरक्षित खनन पट्टे पर पुनः अनुदान के लिए उपलब्ध हो जाता है। आगे संशोधन यह किया गया कि खनन पट्टा देने के लिए आवेदन नियम 72 के उप.नियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस में निर्दिष्ट तिथि से 7 कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त होने की आवश्यकता थी।

नियम 72 (1) में दी गई भाषा का शाब्दिक अर्थ निस्संदेह श्री दास और श्री सांघी के उस तर्क का समर्थन करेगा, जो अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित थे कि यह प्रक्रिया तब लागू नहीं होगी जब विचाराधीन क्षेत्र को एक अधिनियम के तहत रखा गया हो। पट्टा अध्याय 2 के अंतर्गत नहीं बल्कि अध्याय 4 के अंतर्गत है। लेकिन इस तरह की व्याख्या से बचना चाहिए क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए नियम 72 को नियमों में शामिल किया गया है वह पूरी तरह से विफल हो जाएगा। इस तरह के प्रावधान रखने का उद्देश्य खनन पट्टा देने के मामले में पारदर्शिता है और परमिट देने वाले प्राधिकारी द्वारा खनिजों के साथ किसी भी तरह के अवैध व्यवहार को प्रतिबंधित करना है। जिला अधिकारी द्वारा एक नोटिस के माध्यम से उपलब्धता को अधिसूचित करने का उद्देश्य इसे बड़े पैमाने पर जनता के ध्यान में लाना है, ताकि एक इच्छुक आवेदक आवेदन कर सके और एक से अधिक होने पर ऐसे आवेदन पर उसकी योग्यता के आधार पर विचार किया जा सके। एक ही क्षेत्र के संबंध में आवेदन प्राप्त होते हैं। नियमों के अध्याय 2 के तहत पट्टा दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं दिया जा सकता है- जैसा कि नियम 12 के उप.नियम (1)और नियम 12 के उप.नियम (2) के तहत प्रदान किया गया है, यदि राज्य सरकार यह राय कि खनिज विकास के हित में यह आवश्यक होगा, वह दस वर्ष से अधिक किन्तु पन्द्रह वर्ष से अनधिक किसी भी अवधि के लिए पट्टा प्रदान कर सकता है। नियम ऐसे पट्टे के नवीनीकरण पर भी विचार करते हैं। नियम

19 (2) राज्य सरकार को पट्टेदार को अपना मामला बताने का उचित अवसर देने के बादए उसके तहत बताए गए आधार पर किसी भी पट्टे का निर्धारण करने का अधिकार देता है। वह क्षेत्र जो अध्याय 2 के तहत प्राप्त पट्टे के आधार पर संचालित किया जा रहा था, जब पुनः अनुदान के लिए उपलब्ध हो जाता है यदि नियम 72 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तो इससे पक्षपात और पूर्वाग्रह हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः भ्रष्टाचार हो सकता है। परमिट देने वाला प्राधिकारीण इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिएए विधानमंडल ने नियमों में नियम 72 के तहत निर्धारित प्रक्रिया जिला अधिकारी द्वारा क्षेत्र की उपलब्धता को सूचित करने का कर्तव्य शामिल किया है। नीलामी पट्टे के मामले में यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि नियम 27 में नीलामी पट्टा देने के लिए निर्धारित प्रक्रिया स्वयं इंगित करती है कि जिला अधिकारी या अधिकृत समिति नीलामी की तारीख से कम से कम 30 दिन पहले नोटिस देने के लिए बाध्य है। नीलामी की तारीख समय और स्थान प्रदान करके नियमों के तहत बताए गए तरीके से और यदि किसी कारण सेए नीलामी अधिसूचित तिथि पर पूरी नहीं होती है, तो कम से कम सात दिनों की छोटी सूचना देकर नई नीलामी आयोजित की जा सकती है। इस प्रकार नियम 27 के तहत नीलामी या नियम 27 (A) या नीलामी.सह.निविदा के तहत निविदा द्वारा पट्टा देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाए जैसा कि नियम 27 (B) के तहत प्रदान किया गया हैए जनता को

नीलामी/निविदा/निलामी.सह.निविदा में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त सूचना है और ऐसे मामले में किसी भी गुप्त सौदे का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ऐसे मामले में जब क्षेत्र अध्याय 4 के तहत नीलामी/निविदा/निलामी.सह.निविदा के तहत आयोजित किया गया था और राज्य सरकार उक्त प्रक्रिया से क्षेत्र को वापस ले लेती हैए जिसके बाद अध्याय 2 के प्रावधान पट्टा देने की सामान्य प्रक्रिया लागू हो जाती है। मामला सामने है तो यदि नियम 72 की व्याख्या उस तरीके से की जाती है, जैसा अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है, तो यह नियम 72 में शामिल पारदर्शिता और खुलेपन के उद्देश्य को विफल कर देगा और ऐसी व्याख्या विधायी के खिलाफ होगी। इरादा। यह निर्माण का एक प्रमुख सिद्धांत है कि अदालतों को एक ऐसा निर्माण अपनाना चाहिए जो शरारत को दबा सके और उपचार को आगे बढ़ा सके। दूसरे शब्दों में न्यायालय को विचाराधीन प्रावधानों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या अपनानी चाहिए। इस प्रकार हमारे लिए अपीलकर्ता की ओर से पेश श्री दास के इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि नियम 72 का मौजूदा मामले में केवल इसलिए कोई आवेदन नहीं है क्योंकि विचाराधीन क्षेत्र पिछले पट्टेदार द्वारा नीलामी के तहत कुछ अवधि के लिए रखा गया था। अध्याय 4 के तहत निविदा के आधार परए खासकर जब 30 मार्च 1995 को जिला मजिस्ट्रेट ने 01.4.1995 से अध्याय 2 के तहत खनन पट्टा देने की सामान्य प्रक्रिया के लिए नीलामी/निविदा प्रणाली के तहत रखे गए क्षेत्र को वापस ले लिया।

इस प्रकार, हमारी राय है कि नियम 72 मामले में लागू होगा और उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना अपीलकर्ता के पक्ष में खनन पट्टे को मंजूरी देने के आदेश को रद्द करने में कोई त्रुटि नहीं की है। नियमावली का नियम 72,

अंतिम प्रश्न जो विचारणीय है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या द्वारा दायर आवेदन दिनांक 4.7.1995 पर विचार करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश देना उचित था। 4. खनन पट्टा प्रदान करने हेतु। यह सच है कि पहले इस न्यायालय ने पाया था कि नोटिस वैध था, लेकिन खनन पट्टा देने का आदेश नियम 72 के विपरीत होने के कारण अवैध माना गया था। निर्णय के ऑपरेटिव भाग में यह विशेष रूप से निर्देशित किया गया था कि उत्तरदाताओं को कानून के अनुसार और इसमें निहित टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए पट्टा देने के लिए एक नया नोटिस जारी करने की स्वतंत्रता होगी, जिसका स्पष्ट रूप से मतलब होगा कि एक नया नोटिस। नियमों के नियम 72 के अनुसार पट्टा अनुदान जारी किया जाना आवश्यक था। जैसा कि इस न्यायालय ने ताजा नोटिस जारी करने के लिए कहा, हमें कोई कारण नहीं मिला कि दिनांक 30.5.1995 के नोटिस के अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा 4.7.1995 को दायर आवेदन पर कैसे विचार किया जा सकता है। यदि कोई नया नोटिस

जारी किया जाता है तो अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या सहित सभी संबंधित व्यक्ति। 4 अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस स्थिति में, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के दिनांक 4.10.1997 के आदेश को रद्द करना और प्रतिवादी संख्या द्वारा दायर दिनांक 4.7.95 के आवेदन पर विचार करने का निर्देश देना उचित नहीं था। 4. हमारे विचार में अधिकारियों को अब नियमों के नियम 72 के संदर्भ में नए नोटिस जारी करने और कानून के अनुसार पट्टे की मंजूरी के लिए दायर किए गए आवेदनों पर विचार करने की आवश्यकता है और पिछले नोटिस के अनुसार या अन्यथा पहले दायर किए गए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया गया है। विचार किया जाएगा,

परिणामस्वरूप अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय के फैसले के उस हिस्से को बरकरार रखते हुएए जिसके तहत अपीलकर्ता के पक्ष में स्वीकृत पट्टे को रद्द कर दिया गया थाए हमने फैसले के अन्य हिस्से को रद्द कर दिया प्रतिवादी नंबर 4 के आवेदन दिनांक 4.7.1995 और आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया, यदि आक्षेपित निर्णय के अनुसरण में अपीलकर्ता द्वारा कोई भी दायर किया गया। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

(अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई)

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रमेश कुमार अटल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है। अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।